अनुवान–रामजीलाल बनाम सरकार
मुकदमा संख्या:–03/27/2021

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/27/2021 ऑन लाईन नम्बर:–2021/104 प्रवेश तिथि:–03.03.2021

1. रामजीलाल पुत्र सेडाराम जाति मीना आयु 75 वर्ष निवासी ग्राम टोडाजयसिंहपुरा तहसील राजगढ़ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर। ....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय अलवर राजस्था।
2. तहसीलदार राजगढ़ वर्तमान तहसीलदार टहला जिला अलवर।

.............अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला–अलवर सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री रविन्द्र मीना एड0–प्रार्थी

–:निर्णय:– दिनांक 02/12/2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 282 आराजी खसरा नम्बर 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 498/805, 505/806 कुल किता 23 कुल रकबा 14.20 है0 हिस्सा 1/6 वाके ग्राम टोडा जयसिंहपुरा तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थी को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। तथा उक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है। राजस्व रिकार्ड के साबिक खसरा नम्बरान की जमाबन्दी सम्वत 2034–37 में प्रार्थी नाम **रामजीलाल** की जगह सहवन से **रामनिवास** दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के नाम अन्य रिकार्ड में **रामनिवास** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सही नाम **श्रीया राम पुत्र जमना लाल** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2024/2486 दिनांक 08.07.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार टहला की रिपोर्ट से साबित है कि **रामजीलाल** व **रामनिवास** एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम **जिसका सही नाम रामजीलाल** होना बताया गया। तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम **रामजीलाल** की जगह

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

सहवन साबिक जमाबन्दी सम्वत 2034–37 के अनुसार से रामनिवास दर्ज कर रखा है उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम रामजीलाल दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 282 आराजी खसरा नम्बर 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 498 / 805, 505 / 806 कुल किता 23 कुल रकबा 14.20 है० हिस्सा 1 / 6 वाके ग्राम टोडा जयसिंहपुरा तहसील टहला जिला के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी रामजीलाल की जगह सहवन से रामनिवास दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 08.07.2024 का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 282 आराजी खसरा नम्बर 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 498 / 805, 505 / 806 कुल किता 23 कुल रकबा 14.20 है० हिस्सा 1 / 6 वाके ग्राम टोडा जयसिंहपुरा तहसील टहला जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टहला को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामनिवास दर्ज है उसके स्थान पर रामजीलाल उर्फ रामनिवास दुरुस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02 / 12 / 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला–अलवर

दिनांक:–...... / 12 / 2025

क्रमांक / कोर्ट / रीडर / 2025 /

तहसीलदार टहला
जिला–अलवर

विषय:–हाजा न्यायालय अनुवानी प्रकरण दयालराम बनाम सरकार मुकदमा संख्या 03 / 27 / 2021
आदेश दिनांक 02 / 12 / 2025 की पालना करने बाबत।

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र के सम्बंध में लेख है कि कि उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में विचाराधीन था। जिसका निर्णय दिनांक 02 / 12 / 2025 की प्रति आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त प्रकरणों में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नही हो तो नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निर्णय की पालना रिपोर्ट से हाजा न्यायालय को अवगत कराये।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला:–अलवर